रेस्पोडेट की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम विश्नोई

निर्णय ::–

दिनॉक 2/3/21

अपीलाण्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम नेवरा रोड की सरहद में स्थित खसरा सख्या 875 रकबा 10 बीघा 17 बिश्वा भूमि के खातेदार चुनाराम रूपाराम आसुराम राजुराम पिता श्री उदाराम करनाराम झुमरराम पुनाराम पुत्र श्री सोनाराम व सोनी पत्नी श्री सोनाराम की खातेदरी की भूमि आयी हुई थी तत्पश्चात उक्त खातेदारो द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए उक्त खसरा सख्या 875 की सम्पूर्ण भूमि का हकतर्कनामा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनॉक 21.05.2009 को कर दिया। अपीलाण्ट के पक्ष में निस्पादित हकतर्कनामा न तो किसी भी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज किया हुआ है तथा न ही उक्त हकतर्कनामा पर ही कोई विवाद ही हैं । उक्त हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण भरवाने बाबत अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी को दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी द्वारा हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार नही किया जिस कारण पुनाराम व अन्य सहखातेदारो के नाम अपीलाण्ट के नाम के साथ राजस्व रेकर्ड में यथावत तरीके से दर्ज रहे। हकर्तककर्ता श्री पुनाराम का देहान्त दिनॉक 05.07.2018 को हो गया जिस पर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये पुनाराम के स्थान पर रेस्पोडेटगण के नाम दर्ज कर दिये गये जबकि रेस्पोडेटगण को उक्त खसरान की भूमि में अन्य सहखातेदारो के साथ कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण जो स्वीकार किया गया है वह विधिविरूद्व तरीके से अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकारो से महरूम करने के आशय से दर्ज किया है। जबकि अपीलाण्ट इसी विश्वास में रहा कि हकतर्कनामा की प्रति हल्का पटवारी को दे दी है जिसकी

Scanned with CamScanner

पालना में हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अवश्य ही दर्ज कर दिया होगा। उक्त पुनाराम के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण भरकर अधिनस्त न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे अधिनस्त न्यायालय द्वारा विधिविरूद्व तरीके से स्वीकृत किया जिसके आधार अपीलाण्ट द्वारा दौराने अपील पेश की गई अपीलाधीन नामान्तरणकरण स्वीकार करते समय राजस्व कर्मचारियो के द्वारा हकतर्कनामा की सही जॉच नही की गयी तथा न ही विधिनुसार हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकण स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हकतर्कनामा कन्सीडर किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में विधिक भूल की है। अन्त मे निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे, एव नामान्तरणकरण सख्या 1429 दिनाक 22.01.2019 को ग्रम पंचायत नेवरा रोड द्वारा स्वीकार किया गया था को निरस्त फरमाया जावें हकतर्कनामा के आधार परन ग्रम नेवरा रोड के खसरा सख्या 875 रकबा 10 बीघा 17 बिश्वा भूमि का नामान्तरकण अपीलाण्ट के नाम से दर्ज किये जाने का सादिर आदेश फरमावे तथा रेस्पोडेटगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने का सादिर आदेश फरमावे अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ ही धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

अपीलाण्ट की पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेट को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेट की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेट की ओर से अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का जबाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र सीधा ही स्वीकार किया जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेट द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना का कोई खण्डन नही होने से अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned with CamScanner

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया वादग्रस्त भूमि ग्राम नेवरा रोड के खसरा सख्या 875 रकबा 10 बीघा 17 बिश्वा भूमि जो हकतर्कनामा दिनॉक 21.07.2009 को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण में अलम दरामद नही किया गया व सीधे ही भूमि मृतक पूनाराम के वारिसानो के नाम से दर्ज कर दी गई इसलिए अपीधीन नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाना तथा अपील स्वीकार किया जाना उचित हैं

आदेश

अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 1492 जो ग्राम पंचायत नेवरा रोड द्वारा दिनॉक 22.01.2019 को स्वीकार किया गया था को निरस्त किया जाता हैं तथा अधीनस्त न्यायालय तहसीलदार ओसियॉ को निर्दश दिया जाता है कि हकतर्कनामा दिनॉक 21.07.2009 के अनुसार पुन नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 2/3/21 को सरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned with CamScanner